

**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भिनाय जिला अजमेर**  
(पीठासीन अधिकारी राजेन्द्र सिंह शेखावत)  
आर.ए.एस.

प्रकरण सं./अपील/एल.आर./05/2016

1. श्रीमति सीमा उर्फ सुरमा बुत्री सुमित्रा जाति जाट निवासी रघुनाथपुरा तहसील भिनाय जिला अजमेर

प्रार्थी/अपीलाण्ट

बनाम

1. रामदेव पुत्र लादू जाति जाट निवासी भगवानपुरा तहसील सरवाड जिला अजमेर
2. देवकरण पुत्र लादू जाति जाट निवासी रघुनाथपुरा तहसील भिनाय जिला अजमेर
3. राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार भिनाय तहसील भिनाय जिला अजमेर
4. ग्राम पंचायत बडगांव जरिये श्रीमान सरपंच महोदय, ग्राम पंचायत बडगांव तहसील भिनाय जिला अजमेर

रेस्पोंडेण्ट्स

**निर्णय अन्तर्गत धारा 75 भूराजस्व अधिनियम 1956**


-:आदेश:-


अपीलार्थी ने इस अपील मीमों में साराशतः निवेदन किया है कि मौजा बडगांव व रघुनाथपुरा पटवार हल्का बडगांव भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र कनेईकलां तहसील भिनाय जिला अजमेर स्थित आराजीयात ग्राम रघुनाथपुरा खसरा नं. 477 रकबा 0.50, 478 रकबा 0.14, 696 रकबा 0.02, 695 रकबा 0.51 कुल किता 4 रकबा 1.17 हैं 0 भूमि अपीलाण्ट के नाना काना पुत्र गोपाल एवं सोना पुत्र गोपाल के नाम दर्ज थी। काना ना ओलाद फोट हो गया तथा सोना पुत्र गोपाल के दो पुत्रीया श्रीमति प्रेम व सुमित्रा उत्पन्न हुई। श्रीमति प्रेम भी नाओलाद दिनांक 14.07.2010 को फोट हो चुकी हैं। उक्त वर्णित आराजीयात में अपीलार्थी का संपूर्ण हिस्सा हैं तथा अपीलार्थी के नामना काना एवं सोना के निधन के पश्चात् उक्त आराजीयात एक मात्र प्रेम देवी के नाम दर्ज कर दी हैं। जो पूर्णतः गलत हैं उक्त आराजीयात में अपीलार्थी का हक हिस्सा अधिकार निहित है तथा उक्त आराजीयात प्रेम देवी के नाम गलत अंकन दर्ज हो जाने से प्रेम देवी के निधन पश्चात् अप्रार्थी से 1 के नाम राजस्व अधिकारियों द्वारा बिना किसी वारिसान के किये बिना ही दर्ज कर दी जो पूर्णतः गलत एवं दुरुस्त होने योग्य हैं। ग्राम पंचायत द्वारा उक्त आराजीयात का नामान्तकरण 202 दिनांक 13.04.2011 को विधिक प्रावधानों के विपरीत होने से उक्त विवादित नामान्तकरण खारिज योग्य हैं। इसी कारण अपीलार्थी को यह अपील प्रस्तुत करनी पडी है। अतः उक्त नामान्तकरण सं. 202 दिनांक 13.04.2011 को खारिज करने के आदेश प्रदान करावें।


पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत अभियान:न्याय आपके द्वार- 2018 के तहत ग्राम पंचायत बडगांव में पेश हुई। उभयपक्षकारान उपस्थित। उन्हें सुना गया। बैंच सदस्यों द्वारा

पत्रावली अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध रेस्पोंडेण्ट सं. 1 लगायत 3 द्वारा प्रस्तुत जवाब का अवलोकन किया जिसमें उन्होंने उक्त नामान्तकरण सही दर्ज होना बताया। अप्रार्थीगण ने जवाब पत्र में कथन किए कि अपीलार्थी द्वारा अपील में विरासत नामान्तकरण गलत होने का कथन करते हुए नामान्तकरण सं. 202 दिनांक 13.04.2011 खारिज करने का निवेदन किया जबकि उक्त नामान्तकरण जयें पंजीबद्ध बेचाननामा के आधार पर दर्ज किए गए हैं। अपीलार्थी द्वारा विरासती नामान्तकरण 834 दिनांक 05.08.2010 खारिज हेतु कोई भी कार्यवाही नहीं अपनाई गई है। अपीलार्थी द्वारा नामान्तकरण सं. 202 दिनांक 13.04.2011 को खारिज करने हेतु गलत तथ्य प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत की हैं जबकि विवादित नामान्तकरण अपीलार्थी के पूर्वज की विरासत से दर्ज न होकर जयें पंजीबद्ध दस्तावेज के आधार पर दर्ज किया गया है, जिसमें सभी विधिक प्रावधानों की पालना की गई है। अतः अपील अपीलार्थी निरस्त योग्य है। पेरोंकार सरकार ने जवाब प्रस्तुत कर अपीलार्थी के लिखित कथनों को नकारते हुए स्पष्ट किया कि विवादित नामान्तकरण 202 दिनांक 13.04.2011 विरासत से दर्ज नामान्तकरण न होकर जयें पंजीबद्ध विक्रय पत्र के आधार पर दर्ज नामान्तकरण है जिसे सभी विधिक प्रावधानों के अनुरूप दर्ज किया गया है। अपीलार्थी द्वारा विरासती नामान्तकरण सं. 834 दिनांक 05.08.2010 के संबंध में कोई आनुतोष नहीं चाहा गया है। अतः अपील अपीलार्थी निरस्त योग्य है। अप्रार्थी सं. 5 ने बैंच सदस्यों के समक्ष विवादित नामान्तकरण नियमानुसार दर्ज होना बताया। बैंच सदस्यों द्वारा उपस्थित पक्षकारान को सुना गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया तो पाया कि अपीलार्थी द्वारा नामान्तकरण सं. 202 दिनांक 13.04.2011 को विरासत द्वारा दर्ज हुआ बताकर खारिज किए जाने का निवेदन किया जबकि उक्त नामान्तकरण अपीलार्थी के पूर्वज की विरासत से दर्ज न होकर जयें पंजीबद्ध विक्रय पत्र के आधार पर दर्ज किया गया है। ऐसी स्थिति में बैंच सदस्यों द्वारा अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील आनुतोष योग्य न होने से खारिज किए जाने क निर्णय लिया गया। अतः अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकृत ग्राम बडगांव-रघुनाथपुरा तहसील भिनाय का नामान्तकरण सं. 202 दिनांक 13.04.2011 को यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार हो नंबर से कम दर्ज होकर दाखिल दफत हो।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 08.05.2018 को लोक अदालत शिविर में सुनाया गया।

  
अध्यक्ष  
लोक अदालत  
उपखण्ड-भिनाय

  
सदस्य  
लोक अदालत  
उपखण्ड-भिनाय

  
सदस्य  
लोक अदालत  
उपखण्ड-भिनाय

